

बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बुधवार, तिथि १४ मई १९५८ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभामुखत्व में हुआ ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर ।

Short notice questions and answers.

स्थानीय स्व-शासन विभाग में चपरासी की नियुक्ति ।

१८८। श्री बालेश्वर राम—क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, यह बतलाने की

कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि स्वायत्त शासन विभाग में गत महीने तीन चपरासियों की नियुक्ति हुई है जिसमें एक भी हरिजन नहीं लिया गया है जब कि सरकारी आदेश के मुताबिक सभी हरिजनों की ही नियुक्ति होनी चाहिये थी ;

(२) जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उनके नाम क्या हैं और पहले वे कहाँ-कहाँ काम करते थे ;

(३) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त विभाग में ही चपरासी की एक जगह के लिये श्री रामचन्द्र राम नामक हरिजन ने भी आवेदन किया था जो १२वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, यदि हाँ, तो उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई ?

*श्री सहदेव महतो—(१) जहाँतक स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के मुख्य कार्यालय

में नियुक्ति का प्रश्न है, उत्तर नकारात्मक है । परन्तु इसी विभाग के अधीनस्थ स्थानीय निकाय के कनीय निरीक्षक के कार्यालय में गत महीने में इस प्रकार की नियुक्ति हुई है । सरकारी आदेशानुसार पटना जिले में साढ़े बारह प्रतिशत पद पर हरिजनों की नियुक्ति होनी चाहिये । परन्तु स्थानीय निकाय के कनीय निरीक्षक के कार्यालय में तीन ही पद रहने के कारण एक भी हरिजनों की नियुक्ति नहीं हुई है ।

(२) (क) बद्री राम (ख) सोने लाल झा और (ग) नसीर उद्दीन अंसारी । इनमें बद्री राम राजस्व विभाग एवं उद्योग विभाग तथा नसीर उद्दीन अंसारी स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग में कुछ दिनों के लिये पूर्व में काम कर चुके हैं ।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है । श्री रामचन्द्र राम को किसी कार्यालय में कार्य करने का पूर्व अनुभव प्राप्त नहीं था जिसकी आवश्यकता इस नवीन कार्यालय को अधिक थी । साथ ही साक्षात्कार में उन्हें नियुक्ति के योग्य नहीं समझा गया । सोने लाल झा को भी पहले का अनुभव प्राप्त नहीं है परन्तु वे मोटर ड्राइवर हैं, अतः स्थानीय निकायों के कनीय निरीक्षक के भ्रमणकारी कार्य के लिये वे उपयुक्त समझे गये ।

*श्री बालेश्वर राम—नियुक्ति किसी बोर्ड द्वारा हुई या किसी खास अधिकारी के

मारफ्त हुई ?

*श्री सहदेव महतो—बोर्ड के मारफ्त हुई ।

*श्री बालेश्वर राम—बोर्ड के कौन-कौन सदस्य थे ?

*श्री सहदेव महतो—सीनियर इंस्पेक्टर, लोकल वाडीज, एंडिशनल ग्रन्डर-सेक्रेटरी,

एल० एस०-जी० और जूनियर इंस्पेक्टर, लोकल वाडीज ।

*श्री बालेश्वर राम—सरकार का जवाब हुआ कि जहां तक एल० एस०-जी० डिपार्टमेंट

की मुख्य कार्यालय का संबंध है उसमें ऐसी बात नहीं है, तो क्या डिप्टी मिनिस्टर साहब के कहने का मतलब यह है कि उसमें कोई नियुक्ति नहीं हुई है या जो होती है वह हरिजनों की ही होती है ।

अध्यक्ष—आपके प्रश्न में है कि तीन आदमियों की नियुक्ति हुई या नहीं और उत्तर है "नहीं" । यानी तीन चंपरासियों की नियुक्ति नहीं हुई ।

*श्री बालेश्वर राम—जो कैडीडेट लोग बुलाये गए उनकी जांच क्या की गई ?

*श्री सहदेव महतो—उसमें यही रखा गया था कि कैडीडेट ऐसे हों जिनको पहले

से कुछ अनुभव प्राप्त हो । उनमें बदरी राम को राजस्व विभाग और उद्योग विभाग का अनुभव प्राप्त था और नसीरुद्दीन अंसारी ने स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग में काम किया था जिसकी सर्टिफिकेट उन्होंने बोर्ड के सामने रखा ।

अध्यक्ष—बदरी राम किस वर्ग के हैं ?

*श्री सहदेव महतो—यह तो इसमें नहीं है । और तीसरे व्यक्ति मोटर ड्राइवर का काम जानते थे ।

*श्री बालेश्वर राम—मोटर ड्राइवर की नियुक्ति हो रही थी या चंपरासी की ?

*श्री सहदेव महतो—इस तरह का सरकुलर है कि जो लोग मोटर ड्राइवर-कम-पीडन का अनुभव रखते हों उनको काम दिया जाय ।

*श्री बालेश्वर राम—क्या ऐडव्हर्टिजमेंट में मोटर ड्राइवर-कम-चंपरासी करके दिया गया था ?

*श्री सहदेव महतो—नहीं । मैंने तो बता दिया है कि जो मोटर ड्राइवरी जानते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है ।

श्री बालेश्वर राम—जो तीन कैंडीडेट आए थे उनकी योग्यता क्या थी ?

श्री सहदेव महतो—दो टेकनीकल आदमी समझकर लिए गए थे और तीसरा ७वां

क्लास तक पढ़ा था ।

श्री बालेश्वर राम—उनकी बहाली के समय साइकिल चढ़ने का टेस्ट लिया गया था और दूसरे किसी तरह की प्रतियोगिता भी हुई थी या सिर्फ सर्टिफिकेट देखकर ही उनको बहाल कर लिया गया था ?

श्री सहदेव महतो—पहले चूँकि वे टेम्पोरेरी काम कर चुके थे इस लिए यह प्रमाणित था कि वे अनुभवी हैं और काम करना जानते हैं ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—क्या सरकार का यह सरकुलर नहीं है कि केवल हरिजनों को उसमें लिया जाय ?

श्री बालेश्वर राम—सरकुलर में है कि जब तक १२॥ परसेंट हरिजनों की नियुक्ति नहीं हो जाय तब तक उनको लिया जाय ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—क्या सरकार इस प्वायंट पर, सैटिस्फायड थी कि हरिजनों की बहाली १२॥ परसेंट हो चुकी है ?

अध्यक्ष—वह डिपार्टमेंट तो अभी नया खुला ही है ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—एल० एस०-जी० डिपार्टमेंट का वह एक सेक्शन है तो क्या सबको एक साथ करके यह हिसाब देखना नहीं होगा ?

अध्यक्ष—जो प्रश्न किया गया उससे तो यह प्रश्न नहीं निकलता है । एल०

एस०-जी० डिपार्टमेंट के मुख्य कार्यालय के बारे में उन्होंने जवाब दिया और यहाँ पर अधीनस्थ कार्यालय है । उसका जवाब दे दिया गया है और वह अधीनस्थ कार्यालय नहीं है । इसलिए सबकी संख्या की बात कहां आती है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—जब आप एल० एस०-जी० डिपार्टमेंट के बारे में समूचा सवाल सुन रहे हैं और सप्लीमेंटरी भी हो रहा है ।

अध्यक्ष—उनका जवाब है कि यह डिपार्टमेंट नया खुला हुआ है तो पहले ही १२॥

परसेंट का हिसाब कहां से बतावें ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—मैं कहना चाहता हूँ कि १२॥ परसेंट हिसाब जो किया गया है वह अलग-अलग हर डिपार्टमेंट का देखना होगा या डिपार्टमेंट का एज ए होल जड़ा करना होगा ?

अध्यक्ष—डिपार्टमेंट एंजु ए होल का क्वेश्चन कहां आता है ? आपने तो अधीनस्थ कार्यालय के बारे में पूछा है ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—उन्होंने सरकुलर का जिक्र किया है ।

अध्यक्ष—आपने सरकुलर का जिक्र किया है ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—इस सवाल में भी सरकुलर का जिक्र है और उन्होंने जवाब भी दिया है । इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि १२॥ परसेंट जज करने के लिए हर सेक्शन को अलग-अलग कर दिया जायगा या पूरे डिपार्टमेंट को एक साथ करके देखा जायगा ?

अध्यक्ष—उन्होंने जवाब तो दिया कि सरकुलर के खिलाफ नहीं है ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—मेरा इंफारमेशन है

अध्यक्ष—इसको हम नहीं मानेंगे, निश्चित प्रश्न कीजिए ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—सरकुलर में इस चीज के लिए आदेश है या नहीं ?

अध्यक्ष—यह सवाल नहीं पूछा जा सकता है । जो चीज डाकुमेंट में मौजूद है उसके बारे में फिर क्या इंफारमेशन आप को लेना है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—यहां पर तो दिया गया है कि सरकारी आदेश के मुताबिक सब हरिजन हों ।

SPEAKER : When the information is available in the document no question can be asked.

Shri CHANDRA SHEKHAR SINGH : But there is definite order in the circular that Harijans should be taken.

SPEAKER : Order, order. Do you question the ruling of the Chair? You cannot do that. Please resume your seat.

Shri RAMCHARITRA SINHA : But I think a member can say that the Speaker should not have

SPEAKER : "allowed this question !"

Shri RAMCHARITRA SINHA : But he is not questioning your order. When you say this is your order we must accept it. But we are pointing out that this should not have come.

SPEAKER : But this I don't like, When I have allowed this question it stands.

श्री चन्द्रशेखर सिंह—आपने एलाऊ किया इसीलिए मैं पूछा रहा था ।

श्री बालेश्वर राम—हम जानना चाहते हैं..... ।

अध्यक्ष—आप एक दफा पूछ कर बैठ गए, फिर पूछ रहे हैं ।

श्री बालेश्वर राम—हम जानना चाहते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए ।

अध्यक्ष—मैं इसको नामंजूर करता हूँ । वह तो ऐडवर्टीजमेंट में दिया ही होगा ।

श्री बालेश्वर राम—जब बोर्ड बैठा तो उसके कितने सदस्य उपस्थित थे ?

श्री सहदेव महतो—इसके लिए सूचना चाहिए ।

श्री बालेश्वर राम—हम जानना चाहते हैं कि रामचन्द्र राम और दूसरे जो कैडिडेट

आए थे उनका साइकिल वर्ग रह चढ़ने का कोई टेस्ट हुआ था ?

अध्यक्ष—यह सवाल आप पूछ चुके हैं ।

श्री बालेश्वर राम—साइकिल का चढ़ना जरूरी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ । मैं

यह जानना चाहता हूँ कि जिनकी नियुक्ति हुई उनमें कोई खास योग्यता है क्या ?

अध्यक्ष—खास योग्यता का कहां सवाल है ? यह भी निश्चित नहीं है ।

श्री बालेश्वर राम—सरकार के सरकुलर में यह था कि हरिजन लोगों को प्रेफरेंस दिया जायगा तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस आदेश का कहां तक पालन हुआ ?

श्री सहदेव महतो—उस काम के लिए अनुभव प्राप्त आदमी की जरूरत थी इसलिए

नये-नये लोगों को नहीं लिया गया ।

श्री बालेश्वर राम—ऐडवर्टीजमेंट में अनुभव के आधार पर प्रेफरेंस देने की बात

नहीं थी ।

अध्यक्ष—क्या आपके पास ऐडवर्टीजमेंट की कॉपी है ?

श्री बालेश्वर राम—जी नहीं, अभी नहीं है । मैं लाकर दे दूंगा ।

श्री मकदूल अहमद—यह बात सही है कि हरिजनों को प्रेफरेंस दी जाने की बात

थी । जो कैडिडेट्स लिये गये हैं उस क्राइटेरिया में हरिजन एकदम नहीं आते थे । इसलिए जब क्राइटेरिया में ठीक आते तब उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता ।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री ने जो सवाल उठाया है वह सवाल यहां नहीं उठता है ।

*श्री रामानन्द तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ड्राइवर-कम-चपरासी की बहाली करनी थी या चपरासी को बहाल करना था ?

श्री सहदेव महतो—ड्राइविंग उसका अडिशनल क्वालिफिकेशन था ।

श्री रामानन्द तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चपरासी के लिए अडिशनल क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है ?

(उत्तर नहीं मिला ।)

श्री रामानन्द तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार को मालूम है या नहीं कि रामसुभग दुसाध पी० डब्लू० डी० में १ वर्ष से काम कर रहा था और उसको इस काम में नहीं लिया गया ?

(उत्तर नहीं मिला ।)

भागलपुर नगरपालिका का चुनाव ।

१९३। श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल—क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या भागलपुर नगरपालिका के सुपरसेशन का समय आगामी अक्टूबर में समाप्त होता है ;

(२) क्या नगरपालिका को इसीलिये सुपरसीड किया गया था कि उसकी आर्थिक अवस्था खराब हो गयी थी ;

(३) क्या नगरपालिका की आर्थिक अवस्था गत १२ या १४ महीनों से संतोषजनक है ;

(४) क्या सरकार का विचार सुपरसेशन का काल बढ़ाने का है, अगर नहीं, तो क्या सरकार चुनाव कराने का आदेश जारी करने का विचार रखती है ?

श्री सहदेव महतो—(१) भागलपुर नगरपालिका की वर्तमान अवक्रमण अवधि

१८ नवम्बर १९५८ को समाप्त होगी ।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है

(४) नगरपालिका को अवक्रमण से मुक्त करने के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जायगा ।

श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल—यह “उचित समय” कब शुरू होगा ?